Gowder, Shri Nanja
Hanumanthaiya, Shri
Kamble, Shri
Karni Singh, Dr.
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Shri Zulfiquar Ali
Kotoki, Shri Liladhar
Kushwah, Shri Yashwant Singh
Laskar, Shri N. R.
Lutfal Haque, Shri
Meena, Shri Meetha Lal
Menon, Shri Govinda
Mohamed Imam, Shri J.
Mohammad Yusuf, Shri
Parthasarathy, Shri
Raghu Ramaiah, Shri
Ram, Shri T.
Ram Swarup, Shri
Randhir Singh, Shri
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri Thirumala
Rao, Dr. V. K. R. V.
Roy, Shri Bishwanath
Sehgal, Shri A. S.
Sen, Shri Dwaipayan
Sethi, Shri P. C.
Shah, Shri Manabendra
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri Ram Avtar
Shashi Bhushan, Shri
Shastri, Shri Ramanand
Shiv Chandika Prasad, Shri
Singh, Shri D. V.
Sinha, Shri R. K.
Santak, Shri Nar Deo
Sundar Lal, Shri J.
Suryanarayana, Shri K.
Tapuriah, Shri S. K.
Yadab, Shri N. P.

MR. CHAIRMAN : The result* of the division is :

Ayes 26; Noes. 57.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : Shri MANUBHAI PATEL. He may continue next time.

17.35 hrs

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL† 1970

(AMENDMENT OF SECTION 2, OMISSION OF SECTION 9B, ETC.)

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947.

MR. CHAIRMAN The question is :

"That the leave be granted to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947."

The motion was adopted

SHRI UMANATH : I introduce the Bill.

17.36 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

VISIT OF VOHRA COMMITTEE TO U. P.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (वलिया) : सभापति जी, मेरा प्रश्न संख्या 4346 वोहरा समिति के उत्तर प्रदेश के दौरे के बारे में था। जो रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे कि जहां उस कमेटी को उत्तर प्रदेश के 50 फीसदी हिस्से में दौरा करना था वहां वे सिर्फ कुछ हिस्सों में ही गए हैं। इसलिए यह जो रिपोर्ट है वह अपूर्ण रही है और हमें चर्चा उठानी पड़ी है। यह जो सेन्ट्रल कमेटी की रिपोर्ट है जिसने कि उत्तर प्रदेश के फ्लड अफेक्टेड एरियाज का दौरा किया था उसके पेज दो पर वह कहते हैं :

"Meetings of the local officers were held under the Chairmanship of the Commissioners of Faizabad and Gorakhpur Divisions respectively. The Secretary, Revenue Department and Public Works Department, officers of the Irrigation and Buildings and Road Departments kindly accompanied the team."

उत्तर प्रदेश में जब फ्लड आया था तो प्रधान मंत्री स्वयं गोरखपुर कमिश्नरी गई थीं और फैजाबाद और बनारस भी गई थीं। लेकिन वोहरा कमेटी के जो अफसरान थे और जो भारत सरकार के उच्चाधिकारी थे उन्होंने बनारस कमिश्नरी के जिलों को छोड़ दिया,

*Shri J. B Singh also voted for AYES.
†Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 8-5-70.

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

वहां पर वे नहीं गए। हमारे सूबे की दो बड़ी नदियां, गंगा और घाघरा हैं। घाघरा के किनारे के जिलों को तो रिपोर्ट में शामिल किया गया और कुछ जिलों में वे गए लेकिन गंगा के किनारे के जिलों को बाढ़ से नुकसान हुआ था उनको शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से रोहेलखंड कमिश्नरी को भी छोड़ दिया है।

"Heavy rains in the last week of September in Rohilkhand Division as well as floods in the districts of Nainital, Bareilly, Budaun, Shahjahanpur, Pilibhit, Kheri, Sitapur, Hardoi, Unnao and Raebareli also caused damage."

वहां पर भी बाढ़ से नुकसान हुआ था लेकिन वहां पर भी वे नहीं गए। उन्होंने सिर्फ फैजाबाद और गोरखपुर कमिश्नरियों के कुछ जिलों को जा करके देखा और लखनऊ में बैठ करके यहां वापिस चले आये। इस कमेटी को जितना समय देना चाहिए था उतना समय नहीं दिया गया। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है। यू० पी० गवर्नमेंन्ट ने दो तारीख को एक टेलीग्राम भी दिया था जिसमें लिखा था :

"In their telegram dated 2nd September, 1969, the Government of U.P. reported extensive damage in 32 districts."

उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि 32 जिलों में बाढ़ से क्षति हुई है, उस विनाशकारी बाढ़ से भीषण क्षति हुई है लेकिन भारत सरकार के उच्चाधिकारियों ने सिर्फ दो चार जिलों में ही जाकर के देखा। ऐसा मालूम होता है कि वे सैर करने के लिए गए थे। फिर वे रिपोर्ट भी क्या दे सकते हैं? वहां के अधिकारियों ने जो कहा होगा वही रिपोर्ट दे देंगें।

सभापति महोदय, पार्लमेन्ट के मेम्बर्स पांच साल के बाद रहें या न रहें लेकिन देश को चलाने का भार अधिकारियों पर रहता है। अधिकारी पढ़े-लिखे और योग्य भी हैं लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है अगर उसी तरह से चलेगा तो पता नहीं यह देश कहां जायेगा। मालूम होता है अंग्रेज़ो के जमाने की अफसरशाही आज भी कायम है क्योंकि वेलफेयर स्टेट के अफसरों को जैसा होना चाहिए था वैसे वे नहीं हैं। इन की रिपोर्ट से आप देखेंगे कि जो इन को रिपोर्ट देनी चाहिये थी हर जगह जा कर के, वैसा न कर के एक जगह बैठ कर रिपोर्ट दी है, यह कहां तक मुनासिब है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वे किया है उस के अनुसार उन का कहना है कि 17,714 गांव बाढ़ ग्रस्त हुए हैं, 31.78 लाख एकड़ क्षेत्र की फ़सल बरबाद हुई है जिस की लागत 34.17 करोड़ रु० आती है। 2.73 करोड़ रु० की लागत के मकानों की क्षति हुई है, 106 आदमियों की जानें गयी हैं और 3,183 पशु मरे हैं। जिन जिलों में गाँवों को जाक र देखा है, जैसे - आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती देवरिया, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, इनके बारे में वह कहते हैं कि 50 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। लेकिन इस में बलिया, गाजीपुर, चुनार, और मिर्जापुर के बारे, जो गंगा के किनारे बसे हैं, कोई जिक्र नहीं है कि वहां कितना परसेंटेज नुकसान हुआ है। इसी तरह से बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, खेरी के बारे में ही लिखा है कि क्या नुकसान हुआ है। इस से मालूम होता है कि अधिकारियों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। जो कमेटी के टर्म्स आफ़ रेफ़रेंस थे उस के अनुसार इन को जगह जगह जा कर क्षति का पता लगाना चाहिए था। लेकिन ऐसा न कर के प्रदेश के अधिकारियों पर डिपेंड करते हैं। इस तरह से तो समिति दिल्ली में बैठकर ही प्रदेश के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगा सकती थी। इन लोगों के आने जाने पर, जो दो, चार जगह गये, पैसा बेकार ही खर्च हुआ।

जिस सूबे में जाते हैं। इन को मालूम नहीं है कि इस सूबे के अन्दर कौन-कौन सी नदियां बहती हैं। रिपोर्ट के आखिरी पेज में देखेंगे नदियों के नाम बताये गये हैं। घाघरा नदी सब

से बड़ी नदी पूर्वी उत्तर प्रदेश की है । जब राप्ती, बूढ़ी राप्ती और अमई सरजू में मिलती हैं तो उसका नाम घाघरा हो जाता है । उत्तर प्रदेश की गंगा और घाघरा जब बिहार में मिलती हैं उसी जगह पर बलिया जिला बसा हुआ है । अगर उच्च अधिकारियों ने खयाल किया होता कि गंगा और घाघरा कहां मिलती हैं तो अवश्य ही उस जगह हुई क्षति का पता लगाने के लिये वह अवश्य जाते । पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में गंगा और घाघरा से कितनी भयंकर क्षति होगी इसका उनको अनुभव नहीं है, और यह सम्भवत: इसलिये नहीं है कि उन को ज्योग्रेफ़ी का ज्ञान नहीं है, या सारी पढ़ाई भूल गये हैं । गंगा और घाघरा कहां मिलती हैं, उनसे क्या क्षति हुई है उसके बारे में समिति की रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है जिस का मुझे महान दुख है ।

आप देखेंगे कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पांचवें पेज पर यू० पी० सरकार 807 करोड़ रु० की क्षति बताती है । लेकिन में समझता हूँ कि 807 करोड़ रु० की क्षति भी कम है क्योंकि यह खुद कहते हैं बलिया-बेरिया बांध के कट जाने से दो जिले बरबाद हो रहे हैं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । स्टेट गवर्नमेंट ने उन को बताया होगा, उस में कम से कम दो करोड़ रु० लगना चाहिये तब जाकर उस बांध को कटने से बचाया जा सकता है । वोहरा समिति ने अतनी रिपोर्ट में लिखा है :

"Adequate provision of funds will have to be made for these works either in 1969-70 or in 1970-71 so that they could be completed before the next monsoon season."

यह भारत सरकार की कमेटी है जो वहां गयी और देखा है । उन का कहना था कि 15 जून, 1970 के पहले यह काम खत्म हो जाना चाहिये था । यह रिपोर्ट 1969 की है पर भारत सरकार इस मामले पर सो रही है । उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं । जब भारत सरकार ने अपनी समिति भेजी और उसने अपनी एक सिफारिश दी है तो इस का साफ़ मतलब यही होना है कि भारत सरकार को इस काम के लिए प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिये थी ।

पांच साल के लिये 8 करोड़ रु० प्लान में दिया गया है यानी एक वर्ष के लिये डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया । इस वोहरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि 130 लाख रु० 1969-70 तक रह गया था, जब कि यह कहते हैं कि दो करोड़ रुपया इसमें लगेगा इस हिसाब से भी 70 लाख रु० की कम से कम सहायता हम को देनी चाहिये थी । अगर नहीं तो फिर कमेटी बिठाने का हमारा कोई अर्थ नहीं था । इस कमेटी ने अंत में अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि 290 लाख ठीक है, यह मिलना चाहिए और भारत सरकार ने इसको मान भी लिया है हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ की रिपोर्ट दी है । लेकिन मेरा कहना है कि 34 करोड़ की जो क्षति हुई फसल के बरबाद होने से, मकानों के ढह जाने से 2-73 करोड़ रुपये की तथा बाढ़ आदि से 1-08 करोड़ कुल मिलाकर 50 करोड़ की जो क्षति हुई उसके लिए भारत सरकार 1-50 करोड़ रुपया चौथी पंच-वर्षीय योजना में अलाट करती है सारे प्रदेश के लिए तो कैसे काम चल सकता है । इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने तकावी आदि के लिए और बंधों की मरम्मत आदि पर अपने प्रांत से खर्चा किया । उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपए की मांग की है और कहा है कि अगर आप रुपया नहीं दे सकते तो हम रूपया नहीं लगा सकते । मैंने प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखा । उन्होंने लिखा है कि कि वित्त मंत्रालय को कह दिया है कि उसकी जाँच करे । लेकिन पन्द्रह-बीस दिन बाकी रह गए, आज तक उसमें काम नहीं लगा है और फिर बाढ़ आ जाएगी और सारा जिला बरबाद हो जाएगा ।

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

रिपोर्ट में दो चार बातें और आपको बताना चाहता हूं । जो बोहरा कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें दिया है कि बलरामपुर प्रोटेक्टिव बंद, बलहा-बेरा बंद, वन-वोगवन बंद, मोलोनी बंद, ये सारे बंद के इलाके हैं ।

इनके अतिरिक्त उसमें लिखा है---

"In addition, there was an erosion of the Hahanale bund and Balia Beria bund and the railway embankment near Chitauni Railway station. There was also minor damage to irrigation structures and channels. A ceiling of Rs. 40 lakhs for the restoration and erosion of other works is recommended.

फिर आगे कहते हैं ---

The State Government brought to the notice of the team the necessity of taking measures for the protection of the existing embankments such as the Balia Beria bund and the Chitauni railway bund which have been under attack during the last two years. They apprehend that without immediate anti-erosion works, there is a likelihood of breaches occurring in these embankments."

हम आपसे निवेदन कर कह रहे थे कि आपने देखा कि जिन जगहों पर ये गये थे और जिन जगहों पर नही गये थे, इन सारे कामों के लिए आपने 2.90 करोड़ की अपनी स्कीम मानी । यद्यपि इसमें हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, गंगा के किनारे के पूर्व जिले जिनमें वे गये थे उनके बारे में उन्होंने बताया, लेकिन जिन इलाकों में वे नहीं गए थे वहां की क्षति का प्रमाण उन्होंने नहीं किया । लेकिन बलिया और गाजीपुर आदि में मैं बता दूं कि जितनी क्षति हुई है वह, जो और जगहों की क्षति का अनुमान उन्होंने दिया उससे कई गुना अधिक है । लेकिन उन्होंने इस भयंकरता को नहीं देखा है । उन्होने अपनी रिपोर्ट ऐसे दी है जैसे कि सैर करने वहां गये हों ।

एक बात मैं और आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । वह यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी पोलिटिकल वजह से ईस्टर्न यू० पी० के जिन जगहों पर गंगा के किनारे हैं । उनके खिलाफ़ थी और उनके अफ़सरों ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में उन्होंने इस को शामिल नहीं किया । तो जब हमारे भारत सरकार के अधिकारी जाते हैं तो उनको इतना लिहाज होना चाहिए कि पार्लियामेंट के तो मैम्बर हों उस इलाके में, या वहां के जो एम०एल०ए० हों, वह स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं करते हैं तो हमारे अधिकारी हमको जवाब दें । कम से कम उनको ये सारी बातों को जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, अगर टर्म्स आफ़ रिफरेंस को असैस करना है तो उनको जाना चाहिए था और उनकी रिपोर्ट को असैस करना चाहिए था । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से दो चार सवाल पूछना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

पहला यह कि क्या भविष्य में माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो कमेटी इस तरह की जाए, वह जिले में जो एम० पी० हैं या जिले के जो एम० एल० ए० हैं, जो पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव हैं, उनको उसके कार्यक्रम की सूचना दी जाए ? जब प्रधान मंत्री वहां गईं तब उन का प्रोग्राम तो हम को मिल गया, लेकिन जब यह कमेटी गई तब उन का प्रोग्राम हम को नहीं बतलाया गया । वहां के डी० एम० और बी० डी० ओ० तक को कमेटी के आने की सूचना दी गई, लेकिन लोगों को जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उस के बारे में नहीं बतलाया गया । अगर मैं हाफ ऑवर डिस्कशन यहां पर न उठाता तो शायद इस सदन को भी न मालूम होता । मैं कहना चाहता हूं कि जब भी इस प्रकार की कोई कमेटी किसी प्रदेश में जाये तो वहां के एम० पी० और एम० एल० एज़० को उस की सूचना अवश्य दी जानी चाहिये ताकि कमेटी को मालूम हो सके कि वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया क्या है और जन-प्रतिनिधियों

को मालूम हो सके कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या होगा । जो समिति की रिपोर्ट हो उस को अध्ययन करने का मौका भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलना चाहिये ताकि जब उस पर चर्चा हो तो सारी चीजों को बतलाने का अवसर वहां के सदस्यों को मिल सके ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जिन जिलों की रिपोर्ट इस में शामिल नहीं हुई है उन के बारे में भी सोचा जाय विशेषकर बलिया के बैरिया बांध के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर वह कट जायेगा तो वह इलाका बरबाद हो जायेगा । मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि उस की मदद करने के लिये जो 3 करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है उसको कम से कम अविलम्ब उस पर खर्च किया जायेगा ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री वहां गई तब उनके फंड से जो पैसा इस तरह की विपत्ति से ग्रस्त लोगों को दिया जाता है उस में से कितना पैसा फ्लड अफ़ेक्टेड एरिया के लोगों के लिये दिया गया ?

दूसरा सवाल यह है कि जिस राष्ट्रपति के कंटिजैंसी फंड पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी और जिस को बढ़ाया गया है, उस में क्या कुछ पैसा इस एरिया के लिये मिला है ? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला ?

तीसरा सवाल यह है कि फ्लड वहीं नहीं, बिहार और यू०पी०के दूसरे स्थानों में भी आता है, क्या वहां के लिये भी कुछ दिया गया है ? आप के पास सैंट्रल फंड है । मान लीजिए राज्य सरकार परवाह नहीं करती है, वह आप को सही रिपोर्ट नहीं देती, तब क्या सैंट्रल फंड में से उनको देने का विचार है या नहीं? और क्या आप इस तरह के फंड को और बढ़ायेंगे ताकि भविष्य में फ्लड अफेक्टेड लोगों को मदद मिल सके ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं श्री चन्द्रिका प्रसाद को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत आवश्यक विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया । वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और प्रश्नों के उत्तर से पता चलता है कि सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया तथा 2 करोड़ 90 लाख रु० मंजूर कर के यू० पी० के राहत कार्यों के लिये दिये । उसमें से करीब डेढ़ करोड़ रू० जानवरों और खेती के औजारों आदि के लिये दिये, 25 लाख जो सिंचाई के साधन बरबाद हो चुके हैं उन के लिये दिये, 1 करोड़ 15 लाख रू० जो सड़क बरबाद हो चुकी उन के लिये दिये । मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने यह राशि यू० पी० सरकार को दिया और क्या इस बात की जानकारी मंत्री महोदय को है कि उस रुपये का उन्होंने किस तरीके से उपयोग किया ?

दूसरी बात यह कि ऐसी शिकायत मिली है कि यह समिति बहुत सी जगहों पर नहीं गई, कुछ जिलों का नाम भी माननीय सदस्य ने लिया । इस सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस समिति को उस के स्कोप के बारे में, अर्थात् उसको क्या क्या करना है कुछ बतलाया गया था? यदि बतलाया गया था कि उनको फ्लड अफेक्टेड एरिया में जाना चाहिए तो समिति वहां क्यूं नहीं गई, इस के बारे में भी मंत्री महोदय हम को जानकारी दें ।

तीसरी बात यह कि बाढ़ तो आती ही रहती है और फिर आयेगी अगर इस का परमनेन्ट सोल्यूशन नहीं किया जायेगा । तो क्या सरकार ने परमनेन्ट सोल्यूशन के लिए कोई योजना बनाई है ?

चौथा सवाल यह है कि कंटिजेंसी फंड के लिए आप ने मंजूरी दी या नहीं ? दिया या नहीं यह मैं नहीं जानता, वह तो आप ही बतलायेंगे, लेकिन अभी भी क्या संभव है कि आप 2 करोड़ 90 लाख रु० दे कर इन सम-

[श्री रामावतार शास्त्री]

स्याओं का समाधान करें ? अगर संम्भव नहीं है तो क्या अब भी आप इस बात के लिये सोचने को तैयार हैं कि आवश्यकता होने पर कंटिजेंसी फंड से इसके लिये पैसा दें ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री चन्द्रिका प्रसाद : घाघरा की पांच नदियां हैं। डा० सम्पूर्ण नन्द ने जलकुंडी योजना नेपाल की सलाह से बनाई थी। नेपाल ने उसमें सहयोग किया था लेकिन भारत ने उसको पूरा नहीं किया। उसको अगर पूरा कर लिया जाता और घाघरा का फ्लड का पानी ले का इकट्ठा किया जाता तो फ्लड आते ही नहीं और ईस्टर्न यू० पी० के नार्दन हिस्से में बाढ़ आने से रुक जाती। इसके बारे में आप ने क्या किया है ?

इसी तरह चनार योजना भी थी जिसके अन्तर्गत गंगा का फ्लड का पानी निकाल लेने से गाजीपुर, बलिया आदि में बाढ़ रुक सकती थी और मिर्जापुर जहां पानी की कमी है, उसको पानी मिल सकता था। उसके बारे में भी मैं चाहता हूं कि प्रकाश डाला जाए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : I share the anxiety of the hon. Member with regard to the flood control and the situation that had arisen in the eastern parts of UP immediately after the floods there. With regard to assistance from the Central Government for these measures, it is primarily the function of the State Government but, keeping in view the financial and other restrictions and difficulties of the State Government, it has always been customary that whenever any such calamities take place in any State, the Central team consisting of the representatives of the Planning Commission, the Finance Ministry and experts are appointed and they are sent.

In this particular case, Shri S. Vohra was the leader of the delegation or team which went there. The members were Shri K. Ramaeswar Rao of the Flood Control Board, Shri B. D. Shastri of the Ministry of Food and Agriculture, the Superintending Engineer, CPWD and Shri Srinivasan, Under Secretary of the Ministry of Finance.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Why were the M.Ps. and M.L.As. not intimated?

SHRI P. C. SETHI : I have no particular information whether the M.Ps. and M. L. As. were not informed but I would take the hon. Member for his word. I would certainly consider it as an important suggestion that whenever such teams visit States it would be for the State Governments to intimate the concerned M. L. As. and M.Ps. with regard to the visit of the team so that if they have any important and useful suggestions, they can certainly offer them.

So far as this team is concerned, it went wherever the State Government wanted it to go. It visited those areas. It is not possible in short time to visit each and every place where flood has caused devastation or damage. If it is done, then it will considerably delay the submission of the report. Yet, the team went to some of the important places which were suggested by the State Government. Rather, the team went wherever it was taken because the programme was drawn up by the State Government. Apart from that, the team had useful discussion with the officials on the spot.

Then the committee came to the conclusion that the total ceiling is, as the hon. Member has rightly quoted, about Rs. 2.90 crores—for relief items Rs. 1.50 crores, loan items Rs. 25 lakhs and repair items Rs. 1.15 crores, making a total of Rs. 2.90 crores. This was the total estimate of the amount that was required to be given to the State Government by the Committee and the State Government also accepted this figure of Rs. 2.90 crores. The State Government have been informed that this would be the total amount that we would be giving to them. As and when they spend money, more money is allotted to them. and about Rs. 50 lakhs have already been paid to them. Whenever they submit their accounts, more money if necessary would be provided. There is no difficulty, as for as this provision of money is concerned.

Apart from these various devastations which the floods have caused in the eastern parts of UP, there is the Balia Beria bund which the hon. Member has referred to. It is feared that on account of the flow of the river Ganga this particular bund is likely to be damaged. This damage has to be taken cognisance of and if it has to be stopped then some repair work in that bund will have to be taken. This committee has estimated, and that is also the estimate of the State Government, that a sum of Rs. 2 crores would be required for this purpose.

However as far as normal works of development or repairs are concerned, they are part and parcel of the State Plan and, as such, when this reference was made, it was pointed out to the State Government that they will have to include all this in the State Plan and that they will have to undertake the work from the State Plan resources.

As far as the State Plan of U.P. is concerned, although in the last year it was to the tune of about Rs. 150 crores, the present Annual Plan of the State Government is of the order of Rs. 179 crores and looking to this big amount which they have got at their disposal it should not be difficult for the State Government to provide this sum. However, it is not correct to say that the State Government are averse to this problem and that they are neglecting eastern U.P. The present Chief Minister has recently sent a letter to the Prime Minister, and Prime Minister has replied to the Chief Minister and this matter has been given a second look in the Planning Commission and the Planning Commission is examining the whole matter and they would, after examination, if necessary, recast the State Annual Plan. This Balia-Beria Bund renovation should be undertaken within the overall scheme of the State's Fourth Five Year Plan and it may be taken up in this year. That is the proposal which is being examined in the Planning Commission.

18Hrs.

Therefore, it is not correct to say that the State Government or the Central Government is averse to this problem and not taking proper care. However, I have taken note of the important suggestions made by the hon'ble Members with regard to the information to be given to the hon'ble Members; that the Team should be more realistic in their visit and whenever they go they should make it a point to visit such spots which are absolutely necessary to be visited and should discuss with the local representatives and State Government officials.

With regard to the point raised by Shri Shiva Chandra Jha as to whether the Prime Minister gave any money out of the Prime Minister's Relief Fund or not I may mention that Prime Minister's Relief Fund is a small amount. Whenever there is a calamity like fire, earthquake, floods, etc. then the Prime Minister does provide some money out of this Fund. I have no information whether any amount was provided out of Prime Minister's Relief Fund but this is a small amount which could be given for rehabilitation purposes. It is not possible to provide any money out of it for developmental work. As regards the question of giving any money out of the contingency fund it does not arise. Only if we do not have any money for relief purposes then we draw from the contingency fund. As you know we have already provided certain amount of money for such purpose and from this point of view it was not necessary for us to draw from the contigency fund but if a necessity arises—as is known to the hon. Members the contingency fund has already been increased from Rs. 15 crores to Rs. 30 crores—certainly we can draw from contingency fund also. In this particular case it was not necessary to draw from contingency fund and I can assure the hon. Members that all possible care is being taken not only for the Eastern U. P. but wherever any such calamity happens because one cannot keep one's eyes closed to such happenings. I fully share the anxiety of the hon. Member who belongs to that place and whatever is possible under the present frame of rules and conditions, plan outlays, etc. we shall look into the matter with all sympathy and care at out disposal.

श्री चन्द्रिका प्रसाद : कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बलिया-बेरिया बांध

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

के लिए दो करोड़ रुपये का प्रबन्ध करना ही चाहिए, ताकि 1970 के मानसून से पहले गंगा नदी के इरोज़न का कोई स्थायी हल निकल सके । इस लिए भारत सरकार की कमेटी ने जो कुछ कहा है, उस को पूरा करने की जवाबदेही भारत सरकार पर है । बलिया की कुर्बानी से ही यह देश आज़ाद हुआ है और यह गवर्नमेंट बनी है । उस की इम्पोर्टेन्स को कम करने से काम नहीं चलेगा ।

18·04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, Mag 11, 1970/*Vaisakha* 21, 1892 (Saka).